न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 138/2020 (2020/00173)

अनवान : –

1. जगमोहन पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवारी सरदारपुराबास तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भरतसिंह पुत्र महीपतराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा। ।
2. रायसिंह पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
3. कान्ता पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
4. शकुन्तला पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
5. कमलेश पुत्री भरतसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुन्शीराम गोस्वामी वादी
श्री संजय गोस्वामी प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 21/10/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 99/95 के मु0न0 91 किला न0 22 ता 25 की 1.012 है0 में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 100/96 के मु0 न0 10 के किला न0 13 ता 18, 24 की कुल 1.695 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 के मु0 नं0 90 किला नं0 17 ता 24, मु0 नं0 91 किला नं0 1, 2, 6 ता 19 कुल 6.072 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 0.506 है0, चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 42/44 के मु0 नं0 72 किला नं0 1 ता 9, 12 ता 19 की 4.301 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 46/52 के मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 25, मुरब्बा न0 70 के किला न0 21 ता 24 कुल 1.265 हैक्टेयर में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 38/38 के मु0 नं0 47 किला नं0 5 ता 7, 13 ता 18 मु0 नं0 48 किला [illegible] ता 4, 7 ता 13, 20 की कुल 5. 313 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से [illegible] खाता सं0 61/54 के मु0 नं0 29 किला नं0 17 ता 25, मु0 नं0 46 किला नं0 1 [illegible] 3, 18 ता 20, मु0 नं0 81 किला नं0 15 ता 25, मु0 नं0 82 किला नं0 1 ता 8 कुल [illegible]866 है0 में प्रतिवादी [illegible]ह के नाम 0.905 है0 तथा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 96/83 के मु0 नं0 46 किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नं0 14 व 15 की 0.506 है0 में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा महीपतराम की खातेदारी हुआ करती थी। महीपतराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी भरतसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भरतसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भरतसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भरतसिंह को वादी के दादा महीपतराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 10 एसडीआर सम्वत 2054 के खाता संख्या 37/34, चक 8 एसडीआर जमाबन्दी सम्वत 2054 खाता संख्या 37/33 एवं चक 7 एसडीआर जमाबन्दी सम्वत 2057–60 खाता संख्या 77, 78, 79 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 ता 5 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक समझौता हो गया जिसमें रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 99/95 के मु0न0 91 किला न0 22 ता 25 की 1.012 है0 में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 100/96 के मु0 न0 10 के किला न0 13 ता 18, 24 की कुल 1.695 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 के मु0 नं0 90 किला नं0 17 ता 24, मु0 नं0 91 किला नं0 1, 2, 6 ता 19 कुल 6.072 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 0.506 है0, चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 42/44 के मु0 नं0 72 किला नं0 1 ता 9, 12 ता 19 की 4.301 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 61/54 के मु0 नं0 29 किला नं0 17 ता 25, मु0 नं0 46 किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20, मु0 नं0 81 किला नं0 15 ता 25, मु0 नं0 82 किला नं0 1 ता 8 कुल 10.866 है0 में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम 0.995 है0 तथा चक 10 एसडीआर के खाता सं0 96/83 के मु0 नं0 46 किला नं0 14 व 15 की 0.506 है0 प्रति भरतसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी भरतसिंह के नाम दर्ज है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार मिल गई है तथा प्रतिवादी भरतसिंह के नाम चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 38/38 व चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 46/52 में स्थित भूमि जो प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से दर्ज है वह भूमि प्रतिवादी के हिस्सा में आ गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जगमोहन पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 7 एसडीआर सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 99/95, 100/96, 101/97 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 10 एसडीआर सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 42/44, 48/52 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 9 एसडीआर सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 38/38, 61/54, 96/83 प्रदर्श 3, जमाबंदी खतौनी चक 10 एसडीआर सम्वत 2054 खाता संख्या 37/34 प्रदर्श 4, जमाबन्दी खतौनी चक 9 एसडीआर सम्वत 2058 खाता संख्या 37/33 प्रदर्श 5, जमाबन्दी खतौनी चक 7 एसडीआर सम्वत 2057–60 खाता संख्या 77 ता 79 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण की तरफ से वादी के दावा का कोई खण्डन नही किया गया है तथा प्रतिवादीगण ने वादी के दावा को स्वीकार करते हुए राजीनाम पेश किया है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से कुल वाद भूमि पैत्रक होना साबित किया है तथा पारिवारिक समझौता को मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के दावा एवं उसमें वर्णित पारिवारिक समझौता का कोई खण्डन नही किया है तथा राजीनामा से स्वीकार किया है। इसलिए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 99/95 के मु0न0 91 किला न0 22 ता 25 की 1.012 है0 में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 100/96 के मु0 न0 10 के किला न0 13 ता 18, 24 की कुल 1.695 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 के मु0 नं0 90 किला नं0 17 ता 24, मु0 नं0 91 किला नं0 1, 2, 6 ता 19 कुल 6.072 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 0.506 है0, चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 42/44 के मु0 नं0 72 किला नं0 1 ता 9, 12 ता 19 की 4.301 है0 नहरी में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 61/54 के मु0 नं0 29 किला नं0 17 ता 25, मु0 नं0 46 किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20, मु0 नं0 81 किला नं0 1[illegible] मु0 नं0 82 किला नं0 1 ता 8 कुल 10.866 है0 में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम 0.905 है0 [illegible] चक 9 एसडीआर के खाता सं0 96/83 के मु0 नं0 46 किला नं0 14 व 15 [illegible]06 है0 में प्रतिवादी भरतसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि दर्ज है उसमें प्रतिवादी [illegible]तसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगमोहन व प्रतिवादी संख्या 2 रायसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 द्वारा त्याग किये गये हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (रा.स.)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:37 IST
Reason: SelfAttested